अंचल अधिकारी का कार्यालय, बाघमारा

भूमि मापी अभिलेख सं० 06/2019-20

आवेदिका :- चुटु देवी

पति - मुची हजारी

सा० - कपुरिया

जिला - धनबाद

आदेश फलक

आवेदिका चुटु देवी पति मुची हजारी सा० कपुरियाँ जिला धनबाद के द्वारा मौजा ~~कतरास~~ ~~कपूरिया~~ थाना 249 के खाता नं. 51 प्लॉट 666 रकबा 18 डी० भूमि मापी करने हेतु अनुरोध किया गया है कि उक्त आवेदन पर हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कपुरिया थाना नं० 249 गत सर्वे खाता नं० 51 प्लॉट सं० 666 रकबा 18 डी० भूमि रैयती खाते की है। जिसका खतियानी रैयत सीता राम हजारी जी० है। पंजी II में जमाबंदी सं० 51 में लगान रैयत के नाम से वसूल होता है, जो हाल सर्वे खाता सं० 60 प्लॉट सं० 872 रकबा 19 डी० है। जिसका खतियानी रैयत जगदीश दसौंधी है। दखलकार रैयत भोला दसौंधी है। दखलकार रैयत आवेदिका का ससुर है। गत सर्वे खाता नं० 51 प्लॉट 668 रकबा 14 डी० दखल रैयत सीता राम हजारी है। जो वंशावली में आवेदिका का कोई संबंध स्पष्ट नहीं तथा नया खाता 189 में प्लॉट सं० 871 अंकित नहीं है। खाता नं० 51 प्लॉट सं० 666 रकबा 18 डी० जिसका नया खाता नं० 60 प्लॉट 872 रकबा 19 डी० भूमि रैयती खाते की भूमि है।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका से एक दिन का मापी शुल्क जमा करने के पश्चात् अंचल अमीन को प्रतिनियुक्त करें।

(हस्ताक्षर) 25/06/19

अंचल अधिकारी
बाघमारा

तिथि

आदेश

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदिका श्रीमती छुटु देवी, पति–मुची हजारी, सा0– कपुरिया, धनबाद द्वारा JD/07 1128329 दिनांक 20/6/19 के द्वारा मापी शुल्क जमा किया गया है।

अंचल अधिकारी
बाघमारा।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अमीन ने मापी कर प्रतिवेदित किया है कि दिनांक–08.07.2020 को स्थल पर पहुँचकर आवेदिका श्रीमती छुटु देवी, राजु भट्ट, गोपाल दसौंधी, संजय भट्ट, राजकुमार भट्ट, उषा भारती के अलावे अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। मोजा–कपुरिया/349, खाता सं0– 51, प्लॉट सं0– 666, रकवा–18डी0 भूमि का मापी में पाया गया आवेदिका के भूमि के पूरब में नवल दसौंधी, 60वर्ग फीट, मुकेश दसौंधी, 154वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं0– 666 पर दखलकर मकान का निर्माण किये हुए है। जबकि रवि दसौंधी 75वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं0– 666, पर दखलकर मकान निर्माण कर रहे है। जिस मापी के स्थल पर सभी पक्षों को चिन्हित स्थान दिखाकर स्थल पर बॉस की लकड़ी गाड़ दिया गया है। जिसकी दो नक्शा की प्रति मापी प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध कराया गया है।

अभिलेख मापी की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी
बाघमारा।